राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक ...../प्र0अ0/ज0स0/2016/ दिनांक

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ **फोर वाटर ...... के अन्तर्गत खेड़ा बाढ रामगढ माईकों सिंचाई परियोंजना के निमार्ण कार्य** हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है ......

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 6(3) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ...... धारा 4(6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी होगे। ...... सूची के अनुसार।
...... है।

आज्ञा से,
ह0
(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक ...../प्र0स0/ज0सं0/2016/ 2120 – 2123 दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन संभाग जयपुर।
2- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
3- अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित हैं :–
(i) अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय में माध्यम से), सम्बन्धित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, जिला कलेक्टर, तथा उपखण्ड अधिकारी और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत।
(ii) ...... विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Urgent
भूमि अवाप्ति
EE
Plant
21/5/18

8053
21-5-18

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

Scanned by CamScanner

विवरण

खेडा बाढ रामगढ माईक्रो सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला सवाई माधोपुर।

सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	खेडा बाढ रामगढ माईक्रो सिंचाई परियोजना के बांध का निर्माण कार्य	खेडा बाढ रामगढ	खेडा बाढ रामगढ	गंगापुर सिटी	उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड
सवाई माधोपुर

अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत्त-जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

फार्म–2

(देखे–नियम–5)

पार्ट–बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः–

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर।
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट के अन्तर्गत माईको टेंक खेडा बाढ रामगढ (गोविन्दपुरा के स्थान पर परिवर्तित) ग्राम पंचायत खेडा बाढ रामगढ तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर। योजना के अन्तर्गत 15.14 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	समाजिक समाघाट निर्धरण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1. परामर्श, 2 सर्वेक्षण, 3 सार्वजनिक सुनवाई /सुनवाईयॉ भी दें।	1.परामर्श, 2 सर्वेक्षण, 3 सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा ओर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगें।)	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हॉ।
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धित जानकारी।	कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर में उपलब्ध ।

अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत जयपुर

अधिशासी अभियंता
जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर

प्रति हस्ताक्षरित
जितेन्द्र दीक्षित
उप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता
व त.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner